# राष्ट्रीय महिला आयोग

20 मार्च, 2023 को आयोजित आयोग की 225वीं बैठक का कार्यवृत्त :

उपस्थिति :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | सुश्री रेखा शर्मा | अध्यक्ष |
| 2. | सुश्री खुशबू सुंदर | सदस्य |
| 3. | सुश्री डेलिना खोंदुप | सदस्य |
| 4. | सुश्री ममता कुमारी | सदस्य |

अन्य उपस्थिति :

| | | |
|---|---|---|
| 1. | श्री ए.अशोली चलाई | संयुक्त सचिव |
| 2. | श्री जेम्स मियाहलुंग | उप सचिव |
| 3. | सुश्री बर्नाली शोम | अवर सचिव |
| 4. | सुश्री शिवानी दे | अवर सचिव |
| 5. | श्री राजेश सिंह बिष्ट | वेतन एवं लेखा अधिकारी |
| 6. | श्री आशुतोष पाण्डे | वरिष्ठ शोध अधिकारी |
| 7. | सुश्री कंचन खट्टर | वरिष्ठ समन्वयक |
| 8. | सुश्री एम. लीलावती | वरिष्ठ समन्वयक (शि. एवं जांच/ मा. त. रो. प्र./म. सु. सं.) |
| 9. | सुश्री नेहा महाजन गुप्ता | विशेष समन्वयक |
| 10. | श्री प्रवीण सिंह | समन्वयक |
| 11. | सुश्री अनन्या सिंह | सलाहकार |
| 12. | श्री अतुल सिन्हा | वरिष्ठ प्रोग्रामर |

माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग ने आयोग की 225वीं बैठक में राष्ट्रीय महिला आयोग की नव मनोनीत सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने निर्देश दिया कि सदस्य सचिव की अनुपस्थिति के कारण संयुक्त सचिव बैठक की कार्यसूची से शुरुआत करें। तदनुसार, संयुक्त सचिव ने बैठक की कार्यसूची मदों को क्रमानुसार प्रस्तुत किया।

कार्यसूची मद संख्या 225/I/1:

**21 फरवरी, 2022 को आयोजित आयोग की 224वीं बैठक का कार्यवृत्त ।**

21 फरवरी, 2022 को आयोजित आयोग की 224वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई ।

कार्यसूची मद संख्या 225/I/2:

**21 फरवरी, 2022 को आयोजित आयोग की 224वीं बैठक की मदों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट ।**

रेखा शर्मा

आयोग ने 21 फरवरी, 2022 को आयोजित आयोग की 224वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया।

**कार्यसूची मद संख्या 225 /I/3 :**

**राष्ट्रीय महिला आयोग भवन में सुरक्षा सेवाएं प्रदान करने की दिशा में मैसर्स रॉयल 7 कम्पलीट सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड की समयावधि में विस्तार।**

आयोग ने विचार-विमर्श किया और रू. 56,40,000/- (रु.छप्पन लाख चालीस हज़ार मात्र) के वित्तीय निहितार्थ के साथ मैसर्स रॉयल 7 कम्पलीट सिक्योरिटीज सर्विसेज को 1 वर्ष के विस्तार के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

पुन: इस ओर भी ध्यान दिया गया कि जुलाई, 2023 के महीने में पुनः निविदा की प्रक्रिया शुरू की जानी चाहिए, ताकि एजेंसी की समयावधि फिर से बढ़ाने की प्रक्रिया से बचा जा सके।

**कार्यसूची मद संख्या 225/I/4:**

**मैसर्स थाइसेनक्रुप एलेवेटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के व्यापक वार्षिक रख-रखाव अनुबंध (CAMC) के लिए 1 साल के लिए 2 लिफ्ट के अनुबंध में विस्तार।**

आयोग ने विचार-विमर्श किया और मैसर्स थिसेनक्रुप एलेवेटर इंडिया को रुपये 2,57,675/- (दो लाख सत्तावन हजार छह सौ पचहत्तर मात्र)+18% जीएसटी के वित्तीय निहितार्थ के साथ 1 वर्ष के विस्तार के लिए कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की। अनुमोदन इस तथ्य पर विचार करते हुए दिया गया था कि मैसर्स थाइसेनक्रुप एलेवेटर इंडिया मूल उपकरण निर्माता (ओईएम) है।

**कार्यसूची मद संख्या 225/I/5:**

**आयोग में दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए मैसर्स लैबिकिप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को 12 हाउसकीपिंग स्टाफ और 1 सुपरवाइजर और मैसर्स दर्शन सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को 3 एमटीएस, 1 प्लम्बर, 1 माली, 1 लिफ्ट ऑपरेटर प्रदान करने के लिए नया अनुबंध दिया गया।**

आयोग ने विचार-विमर्श किया और मैसर्स लैबिकिप सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को 12 हाउसकीपिंग स्टाफ और 1 सुपरवाइजर और मैसर्स दर्शन सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली को 3 एमटीएस, 1 माली, 1 लिफ्ट ऑपरेटर, 1 प्लंबर प्रदान करने हेतु दिनांक 01.01.2023 से 31.12.2023 तक 1 वर्ष के विस्तार के लिए क्रमशः लगभग 35,63,615/- रुपये तथा रु. 18,30,736/- के वित्तीय निहितार्थ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

रेखा शर्मा

**कार्यसूची मद संख्या 225/I/6:**
**आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटरों (डीईओ) की आउटसोर्सिंग करने के लिए मैसर्स सीपीएस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा को दिनांक 01.09.2022 से 31.10.2022 तक 2 महीने की अवधि के लिए दिए गए अनुबंध का विस्तार।**

आयोग ने विचार-विमर्श किया और मैसर्स सीपीएस सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड, नोएडा को डाटा एंट्री ऑपरेटरों (डीईओ) की आउटसोर्सिंग हेतु दो महीने अर्थात 01.09.2022 से 31.10.2022 तक 2 महीने की अवधि के विस्तार के लिए रू. 12,45,894/- (बारह लाख पैंतालीस हजार आठ सौ चौरानवे रुपये मात्र) के वित्तीय निहितार्थ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

**कार्यसूची मद संख्या 225/I/7:**
**आयोग में डाटा एंट्री ऑपरेटरों (डीईओ) की आउटसोर्सिंग के लिए मैसर्स आरआर एट सर्विसेज (पंजीकृत), 17/29, पहली मंजिल, कल्याणपुरी, दिल्ली -110091 के साथ 01.11.2022 से 31.10.2023 तक 1 वर्ष की अवधि के लिए अनुबंध किया गया।**

आयोग ने विचार-विमर्श किया और राष्ट्रीय महिला आयोग में 24 डाटा एंट्री ऑपरेटरों की आउटसोर्सिंग के लिए मैसर्स आरआर एट सर्विसेज (पंजीकृत), 17/29, पहली मंजिल, कल्याणपुरी, दिल्ली -110091 को एक वर्ष अर्थात 1 नवंबर, 2022 से 31.10.2023 तक की अवधि के लिए अनुबंध देने के लिए लगभग 90,00,000/- (नब्बे लाख) के वित्तीय निहितार्थ के साथ कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की।

**कार्यसूची मद संख्या 225/I/8:**
**वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग का वार्षिक लेखा**

आयोग ने विचार-विमर्श किया और वर्ष 2021-22 के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के वार्षिक लेखों को मंजूरी दी, जिसका महालेखा नियंत्रक (CGA) द्वारा पहले ही ऑडिट किया जा चुका है।

**कार्यसूची मद संख्या 225/I/9:**
**कानून की समीक्षा पर रिपोर्ट: "घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005"**

आयोग ने विचार-विमर्श किया और निम्नानुसार कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया:

1. कानून की समीक्षा पर रिपोर्ट को अनुमोदन: घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005
2. अ. शा. सं. 06-05/01/2021-2022-रा.म.आ.(विधि) दिनांक 21.07.2022 द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित

**कार्यसूची मद संख्या 225/I/10:**

**कानून की समीक्षा पर रिपोर्ट: "प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 और संशोधन अधिनियम 2017"**

आयोग ने विचार-विमर्श किया और निम्नानुसार कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया:

1. कानून की समीक्षा पर रिपोर्ट को अनुमोदन: **प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम, 1961 और संशोधन अधिनियम, 2017**
2. अ. शा. संख्या 06-05/15/2021-2022-रा.म.आ. (विधि) दिनांक 22.07.2022 द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित

**कार्यसूची मद संख्या 225/I/11:**

**कानून की समीक्षा पर रिपोर्ट: आपराधिक कानून की समीक्षा - महिलाओं की स्थिति में सुधार**

आयोग ने विचार-विमर्श किया और निम्नानुसार कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया:

1. कानून की समीक्षा पर रिपोर्ट को अनुमोदन: आपराधिक कानून की समीक्षा - महिलाओं की स्थिति में सुधार
2. अ. शा. संख्या 06-05/02/2022-रा.म.आ.(विधि) दिनांक 04.03.2022 द्वारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को रिपोर्ट की एक प्रति अग्रेषित।

**कार्यसूची मद संख्या 225/I/12:**

**फिजिकल मोड में स्नातक और स्नातकोत्तर " छात्राओं के लिए क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (सीबी एंड पीडीपी)।**

आयोग ने विचार-विमर्श किया और वित्तीय वर्ष 2023-2024 में फिजिकल मोड में स्नातक और स्नातकोत्तर छात्राओं के लिए क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम (सीबी और पीडीपी) आयोजित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करने के लिए 61 विश्वविद्यालयों / कॉलेजों को रू. 59,00,150/- (उनसठ लाख एक सौ पचास रुपये मात्र) की कुल राशि के लिए प्रशासनिक अनुमोदन और स्वीकृत राशि 29,50,075/- रुपये (उनतीस लाख पचास हजार पचहत्तर रुपये मात्र) की 50% की पहली किस्त जारी करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

**कार्यसूची मद संख्या 225/I/13:**

**टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) के सहयोग से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में महिलाओं के लिए हिंसा मुक्त घर-एक महिला का अधिकार' परियोजना के लिए 12 पायलट विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना की गई – के संबंध में।**

आयोग ने विचार-विमर्श किया और 2021-2023 की अवधि के दौरान टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थान (टीआईएसएस) के सहयोग से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में महिलाओं के लिए हिंसा मुक्त घर-एक महिला का अधिकार' परियोजना के लिए 12 पायलट विशेष प्रकोष्ठों की स्थापना के लिए रू. 2,41,67,166/- (दो करोड़, इकतालीस लाख, साठ सात हजार, एक सौ छियासठ मात्र) के व्यय के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया ।

**कार्यसूची मद संख्या 225/I/14:**

**14 टियर II शहरों में महिला सुरक्षा संपरीक्षा**

आयोग ने विचार-विमर्श किया और केवल कार्यसूची में दिए गए विवरण के अनुसार रुपये 2,48,28,975/- (दो करोड़, अड़तालीस लाख, अट्ठाईस हजार, नौ सौ पचहत्तर मात्र रुपए) के व्यय हेतु 12 शहरों के संबंध में महिला सुरक्षा ऑडिट करने के लिए कार्योत्तर प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया।

**कार्यसूची मद संख्या 225/I/15:**

**2022-23 के दौरान राष्ट्रीय महिला आयोग के मानव तस्करी रोधी प्रकोष्ठ द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए;**

आयोग ने विचार-विमर्श किया और केवल कार्यसूची में दिए गए विवरण के अनुसार रु. 34,99,333/- (चौंतीस लाख, निन्यानवे हजार, तीन सौ तैंतीस रुपये मात्र) के व्यय के साथ मानव तस्करी विरोधी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

**कार्यसूची मद संख्या 225/I/16:**

**देश के विभिन्न राज्यों में अनिवासी भारतीय वैवाहिक मुद्दों पर जागरूकता सृजन कार्यक्रम:**

आयोग ने विचार-विमर्श किया और कार्यसूची में दिए गए विवरण के अनुसार राज्यों में रुपये 29,84,600/- (उनतीस लाख चौरासी हजार छह सौ रुपये मात्र) के खर्च के साथ अनिवासी भारतीय वैवाहिक मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के लिए कार्योत्तर अनुमोदन प्रदान किया।

रेखा शर्मा

कार्यसूची मद संख्या 225/II/1:

**वर्ष 2021-22 के लिए परिशोधित बजट (आर.ई.), वर्ष 2021-22 में किए गए प्रगामी व्यय और वर्ष 2021-22 का अव्ययित शेष।**

आयोग ने वर्ष 2021-22 के लिए परिशोधित बजट आबंटन, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान किए गए व्यय और वर्ष 2021-22 के अव्ययित शेष को नोट किया।

कार्यसूची मद संख्या 225/II/2:

**वर्ष 2022-23 हेतु बजट अनुमान, वर्ष 2022-23 हेतु परिशोधित बजट (सं. ब.), फरवरी, 2023 तक किए गए प्रगामी व्यय और दिनांक 28.02.2023 तक उपलब्ध अव्ययित शेष।**

आयोग ने वर्ष 2022-23 के लिए बजट आबंटन, वित्तीय वर्ष 2022-23 के दौरान फरवरी तक किए गए व्यय और 28 फरवरी, 2023 को उपलब्ध अव्ययित शेष को नोट किया।

कार्यसूची मद संख्या 225/II/3:

**मासिक रिपोर्ट- शिकायत एवं जांच प्रकोष्ठ -फरवरी, 2022 से फरवरी, 2023 के दौरान**

आयोग ने कार्यसूची में दिए गए विवरण के अनुसार शिकायत और जांच प्रकोष्ठ के संबंध में मासिक रिपोर्ट (फरवरी, 2022 से फरवरी, 2023 तक) को नोट किया।

कार्यसूची मद संख्या 225/II/4:

**वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वत: संज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा की गई कार्रवाई।**

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिए स्वत: संज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा कार्यसूची में दिए गए विवरण के अनुसार स्वत:संज्ञान प्रकोष्ठ द्वारा दी गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया।

कार्यसूची मद संख्या 225/II/5:

**राष्ट्रीय महिला आयोग ने दिनांक 27 जुलाई, 2021 को 24X7 हेल्पलाइन-7827170170 लॉन्च किया।**

आयोग ने एजेंडा में दिए गए विवरण के अनुसार 24X 7 हेल्पलाइन की रिपोर्ट को नोट किया।

विविध कार्यसूची मद:

अध्यक्ष ने नवनियुक्त सदस्यों को निम्नलिखित से अवगत कराया:

रेखा शर्मा

1. आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 21 के तहत लोक सेवक माना जाता है।
2. अधिनियम की धारा के तहत प्रावधानों के अनुसार, अध्यक्ष से उचित अनुमोदन प्राप्त करने के बाद सदस्य अवकाश या आधिकारिक दौरों पर जा सकते हैं। विदेश यात्रा के मामले में, अवकाश के दौरान भी, समय पर आवश्यक उचित अनुमोदन प्राप्त किया जाना चाहिए।
3. सभी कोडल औपचारिकताओं का पालन करने के बाद सभी सदस्यों के लिए एक प्रीमियम सेडान (Ciaz) उपलब्ध कराई जाएगी।
4. अधिकारों के प्रत्यायोजन के अनुसार, अध्यक्ष आयोग की प्रवक्ता है और किसी विशिष्ट अवसर पर वे प्रेस बैठक में आयोग का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक सदस्य/सदस्य सचिव को प्राधिकृत कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद प्रस्ताव के साथ बैठक समाप्त हुई ।

रेखा शर्मा

(रेखा शर्मा)
अध्यक्ष

अशोली चलाई

(ए.अशोली चलाई)
संयुक्त सचिव